

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स- 0755- 2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/ 4209

भोपाल, दिनांक 23/5/2012

कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषय: फोटो निर्वाचक नामावली एवं मतदाता फोटो परिचय पत्र की तैयारी एवं प्रदाय ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 15 अप्रैल, 2012 से 31 मई, 2012 तक डोर-टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कतिपय जिलों के बी एल ओ द्वारा यह बताया गया है कि कई मतदान केन्द्रों के गांवों में जाते हैं जहां पर माता पिता को अपनी एवं अपने बच्चों की आयु ज्ञात न हो ऐसी दशा में क्या किया जावे। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की पुस्तिका-2008 के अनेक्चर 5.6 पृष्ठ 147 पर अंकित शपथ दृढबचन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समय प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। प्रारूप संलग्न है। इसकी जानकारी व प्रारूप सभी सम्बन्धित बी.एल.ओ व कर्मचारियों को दें प्रचार प्रसार कर सभी को जानकारी भी देना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

*(Handwritten Signature)*  
21.5.12

( एस.एस. बंसल )

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

शपथ अथवा वृद्ध वचन का पत्रक

(18-25 आयु समूह में पहली बार आवेदक के माता/पिता के द्वारा भरा जावे, जिनके पास उम्र का प्रमाण उपलब्ध नहीं है)

मैं ..... जिसका नाम  
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक व नाम ..... के  
भाग क्रमांक ..... के सरल क्रमांक ..... पर दर्ज है,  
ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मेरा  
पुत्र/पुत्री ..... जो दिनांक 01 जनवरी,  
20..... को ..... आयु का/की है तथा मेरे साथ निवासरत है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

माता/पिता के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती .....

(समय)

द्वारा .....

(स्थान)

की शपथ ली।

(दिनांक) को मेरे समक्ष ईश्वर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /  
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /  
के हस्ताक्षर